समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
संयुक्त आदेश

दिनांक 01-11-2015 को मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज अनुमण्डल मुख्यालय स्थित पानी टंकी मैदान, आलमनगर में श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का चुनावी आम सभा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी जिला संयुक्त आदेश।

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का दिनांक 01-11-2015 को .... बजे पूर्वा0/अप0 में हेलीकॉप्टर द्वारा पानी टंकी मैदान, आलमनगर में आगमन एवं आम सभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार पानी टंकी मैदान, आलमनगर के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पधारेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार 'जेड प्लस' श्रेणी एवं ए0एस0एल0 प्रोटेक्टी के सुरक्षित व्यक्ति हैं, इन्हें बिहार विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत सुरक्षा अनुमान्य है। साथ ही "Rules & Instruction for the Protection of The Chief Minister Bihar 1988" गृह विभाग द्वारा प्रकाशित है, के तहत् सुरक्षा अनुमान्य है।

सूचनानुसार माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों, रणवीर सेना, पी0डब्लू0जी0 नक्सल एवं अन्य अपराधिक गिरोहों से गंभीर खतरा बना हुआ है। नेपाल में माओवादी गतिविधियों तथा बिहार के नक्सलियों /उग्रवदी संगठनों का आपसी तालमेल के आधार पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में विध्वंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। इस गठजोड़ से माननीय मुख्यमंत्री को गंभीर खतरा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

माननीय मुख्यमंत्री को लेलीकॉप्टर से उतरते समय उनके स्वागत के लिए फुल-माला के साथ काफी लोगों की भीड़ होगी। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /विशेष शाखा के पदाधिकारी /पुलिस बल विवेकपूर्ण एवं शालीनतापूर्ण समुचित छानबीन के पश्चात् ही प्राधिकृत व्यक्तियों को जाने देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भीड़ हेलीपैड पर जमा न हो और न ही मवेशी आदि हेलीपैड के अंदर आ पाए, जिसके लिए **परिशिष्ट-'क'** के अनुसार हेलीपेड पर दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

मंच /सभा स्थल /डी एरिया :- कार्यक्रम स्थल पर संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी द्वारा आयोजकणों द्वारा बनाये गये मंच, डी0 एरिया का बैरिकेडिंग साल बल्लों से किया जाए, जो काफी मजबुत हो, ताकि कोई व्यक्ति कूद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सके। बल्लों का गैप इस प्रकार रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति झुक कर प्रवेश नहीं कर पाये। माननीय मुख्यमंत्री के गुजरने वाले रास्ते में भी समुचित बैरिकैडिंग की व्यवस्था की जाए।

बैरिकेडिंग :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा बैरिकेडिंग आदि निर्माण के पश्चात् इसकी उपयुक्तता, सुदृढ़ता तथा मानक विशिष्टियों से बने होने का प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के एक दिन पूर्व अप0 तक निश्चित रूप से अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करायेंगे।

थानाध्यक्ष, आलमनगर उक्त स्थल पर निर्माण कराये जा रहे सभा स्थल /हेलीपैड की सुरक्षा हेतु एक पुलिस पदाधिकारी के साथ 1-4 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्त करेंगे। हेलीपैड गुणवत्तापूर्ण एवं मानकों के अनुरूप कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा के पर्यवेक्षण में आयोजकगणों द्वारा